न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 12.04.2022

अपील संख्या 23/2022

बनवारी पुत्र देवीलाल जाति कहार निवासी जयसिंह पुरा तहसील खण्डार —— अपीलार्थी

बनाम

—— रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये तहसीलदार, खण्डार

उपस्थित – श्री इमरान खान एड0 – अपीलार्थीगण
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

दिनांक 30/9/22

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, खण्डार द्वारा मुकदमा नं0 234/22 मे पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जयसिंहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 347/5, 353/10 रकवा 3.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेहड पर संवत 2078 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि पटवारी हल्का ग्राम जयसिंहपुरा ने अपीलान्ट के विरूद्ध गलत एवं निराधार रिपोर्ट पेश की है और इस आधार पर लायक अदालत मातेहत ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये हुए एवं बिना अपीलान्ट का जवाब एवं दस्तावेजी सबूत लिये हुए विवादित निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है अपील[illegible] रंजिशवश फंसाने की वजह से पटवारी हल्का द्वारा गलत एवं नि[illegible] की गई है जिसकी कोई सत्यता नहीं हैं, इसलिए विवादित आदेश निरस्त होने [illegible] है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पा[illegible] पत्रावली का सही तरीके [illegible]लोकन नहीं करके महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आ[illegible]र बनाते हुए आदेश पा[illegible]र दिया जो निरस्त होने योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट को तामील होने पर अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 07.03.2022 को उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय के संबंध में कोई दस्तावेज, नोटिस आदि संलग्न नहीं है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 11.02.22 में अपीलन्ट के ख0नं0 347/5, 353/10 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में गेहूं काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है किन्तु पत्रावली में इस संबंध में पर्याप्त तथ्य संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं अवगत कराया हैं। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती होने के पुख्ता/पर्याप्त सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार, खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि वर्तमान में अतिक्रमण पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को बहाल रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/9/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल[illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर